राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मलसीसर

पीठासीन अधिकारीः– शकुन्तला चौधरी

मुकदमा नम्बरः–31 / 2019

1. सुमन उर्फ सुमन चिरानिया उम्र 56 साल पत्नी स्व. बनवारी उर्फ बी.एल. चिरानिया जाति मेघवाल निवासी ग्राम हंसासरी त. मलसीसर जिला झुंझुनूं, हाल निवासी ऐफ 314 वैशानी नगर नर्सरी सर्किल के पास जयपुर राजस्थान
2. कविता पुत्री स्व. भागीरथ पत्नी मदनलाल जाति मेघवाल निवासी ग्राम हंसासरी त. मलसीसर जिला झुंझुनूं राज। हाल निवासी धोली मण्डी वार्ड नं. 15 चोमू जयपुर।

–प्रार्थीयागण

बनाम

1. बीरबल सिंह पुत्र स्व. नौरंग जाति मेघवाल निवासी ग्राम हंसासरी त. मलसीसर जिला झुंझुनूं
2. दयानन्द पुत्र स्व. नौरंग जाति मेघवाल निवासी ग्राम हंसासरी त. मलसीसर जिला झुंझुनूं
3. मोहन लाल पुत्र स्व. नौरंग जाति मेघवाल निवासी ग्राम हंसासरी त. मलसीसर जिला झुंझुनू
4. गोविन्द सिंह पुत्र स्व. नौरंग जाति मेघवाल निवासी ग्राम हंसासरी त. मलसीसर जिला झुंझुनूं
5. जगदीश पुत्र स्व. महालाराम जाति मेघवाल निवासी ग्राम हंसासरी तहसील मलसीसर
6. विजयपाल पुत्र स्व. झण्डूराम उर्फ झिण्डूराम जाति मेघवाल निवासी ग्राम हंसासरी तहसील मलसीसर
7. रविश कुमार पुत्र स्व. झण्डूराम उर्फ झिण्डूराम जाति मेघवाल निवासी ग्राम हंसासरी तहसील मलसीसर
8. मंजू देवी पुत्री स्व. झण्डूराम उर्फ झिण्डूराम जाति मेघवाल निवासी ग्राम हंसासरी तहसील मलसीसर
9. परमेश्वरी पुत्री स्व. भागीरथ जाति मेघवाल निवासी ग्राम हंसासरी तहसील मलसीसर
10. विनय उर्फ विनय चिरानिया पुत्र स्व. बनवारी जाति मेघवाल निवासी ग्राम हंसासरी तहसील मलसीसर
11. मिनाक्षी पुत्री स्व. बनवारी जाति मेघवाल निवासी ग्राम हंसासरी तहसील मलसीसर
12. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार मलसीसर जिला झुंझुनूं।

–अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अ.धा 136 भू–राजस्व अधिनियम

निर्णय दिनांक 09.02.2021

निर्णय

प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र अ.धा. 136 आर.टी. एक्ट इस आशय का पेश किया है कि ग्राम हंसासरी तहसील मलसीसर जिला झुंझुनूं की सरहद में स्थित भूमि खसरा नंबर 108 रकबा 2.1100 है0, ख.न. 60 रकबा 0.6800 है0 व ख.न. 61 रकबा 6.9500 है0 कुल किता 03 रकबा 9.7400 है0 अवस्थित है। उक्त भूमि में प्रार्थीयान स. 1 के पति व प्रार्थीया स. 2 के पिता व अनावेदकगण स. 1 लगायत 11 की खातेदारी काश्त की भूमि हैं। प्रार्थीया सं. 1 का नाम राशन

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मलसीसर

कार्ड, वोटर पहचान पत्र, पैन कार्ड, आधार कार्ड, व अन्य दस्तावेजों में सुमन उर्फ सुमन चिरानिया दर्ज है परन्तु प्रार्थीया के पति बनवारी की मृत्यु के बाद उक्त भूमि का फौतगी ईन्तकाल दर्ज हुआ तब प्रार्थीया स. 1 का नाम सुमन उर्फ सुमन चिरानिया की स्थान पर संतोष दर्ज हा गया। तथा प्रार्थीया सं 2 का नाम सहवान से कविता के स्थान पर नाथी दर्ज हो गया। इस अशुद्धी को दुरूस्त करवाने के लिए प्रार्थना पत्र सेवा में पेश किया है। तहसीलदार की जांच रिपोर्ट प्रार्थीयागण ने अपने नाम के समर्थन में सरकारी दस्तावेज आधार कार्ड, पहचान पत्र, राशन कार्ड पेश किया है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया है कि उक्त दुरूस्ती करने का आदेश फरमावें। प्रार्थना पत्र दर्ज किया जाकर अप्रार्थी की तलबी वास्ते जबाबदेही की गई।

बहस प्रार्थना पत्र एक तरफा श्रवण की गई। बहस के दौरान अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थना पत्र में अंकित रामकरण के स्थान पर रामलाल फरमाया जावें।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया तथा बहस पर मनन किया गया ग्राम हंसासरी तहसील मलसीसर जिला झुंझुनूं की सरहद में स्थित भूमि खसरा नंबर 108 रकबा 2.1100 है0, ख.न. 60 रकबा 0.6800 है0 व ख.न. 61 रकबा 6.9500 है0 कुल किता 03 रकबा 9.7400 है0 में सन्तोष पत्नि बनवारी हिस्सा 1/36 व नाथी पुत्री भागीरथ हिस्सा 1/12 दर्ज राजस्व रिकार्ड है लेकिन राजस्व रिकार्ड में फौतगी ईतंकाल व सहवान सुमन उर्फ सुमन चिरानिया के स्थान पर सन्तोष व कविता के स्थान पर नाथी दर्ज हो गया। इस अशुद्धी को दुरूस्त करवाने के लिए प्रार्थना पत्र सेवामें पेश किया गया है। इस प्रकार उक्त विवेचन से प्रार्थी के राजस्व रिकार्ड में उपर्युक्त त्रुटियां दुरूस्त किया जाना उचित प्रतित होता है।

आदेश

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम हंसासरी तहसील मलसीसर जिला झुंझुनूं की सरहद में स्थित भूमि खसरा नंबर 108 रकबा 2.1100 है0, ख.न. 60 रकबा 0.6800 है0 व ख.न. 61 रकबा 6.9500 है0 कुल किता 03 रकबा 9.7400 है0 जमांबदी संवत 2074–77 में अंकित सन्तोष पत्नि बनवारी के स्थान पर सुमन उर्फ सुमन चिरानिया पत्नि बनवारी व नाथी पुत्री भागीरथ के स्थान पर कविता पुत्री भागीरथ दुरूस्त किया जाता है। खाते के शेष इंद्रजात यथावत रहेंगें। तहसीलदार तदनुसार राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती करें।

(शकुन्तला चौधरी)
उपखण्ड अधिकारी
मलसीसर

निर्णय आज दिनांक 09.02.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शकुन्तला चौधरी)
उपखण्ड अधिकारी
मलसीसर